

## भारतीय लोकतंत्र में महात्मा गांधीजी के अहिंसात्मक विचारों की प्रासंगिकता



\*प्रा. डॉ. विलास आघाव

म. गांधी एक युगपुरुष, पैगम्बर एवं आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यमसे राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का प्रयास किया। गांधीजी एक सच्चे कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने कर्म एवं चिन्तन से एक ऐसे दर्शनको जन्म दिया जिसे गांधीवाद नाम देना उचित है। गांधीवाद केवल एक विचारधारा या सिद्धान्त का नाम नहीं है, अपितु एक जीवन दर्शन है। म. गांधीने भारतीय राजनीतिमें प्रवेश कर, राष्ट्रीय आंदोलनको तिलक की तुलना में और अधिक व्यापक स्वरूप प्रथन किया। गांधीने साधनों की पवित्रता का अनुसरण, गोखले से प्रेरणा लेकर किया, लेकिन सत्याग्रह के तरीके वे अपनाये जो तिलक ने बंग-भंग विरोधी आंदोलनके पश्चात अपनाए थे। राजनीति में रहते हुए भी गांधीजी निष्काम कर्मयोगी की तरह राजनीतिसे अनासक्त रहे। वे एक स्थितप्रज्ञ की तरह राजनीति के समस्त झंझावातों का सामना करते रहे। राजनीतिको भी धर्म माननेवाला यह महामानव सत्य ही महात्मा था। गांधीजी सत्य को साध्य तथा अहिंसा को सत्य की प्राप्ति का साधन मानते। अहिंसा साधन होते हुए भी परमावश्यक है क्योंकि अहिंसा के बीना सत्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। उनका अहिंसा पर अडिग विश्वास था। उनकी मान्यता थी की मानवीय जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अहिंसात्मक तरीकों से किया जाना संभव है। हिंसा, घृणा, द्वेष, प्रतिहिंसा, संघर्ष और वैमनस्य को जन्म देती है जबकी अहिंसासे प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सद्भावना व समन्वय की भावना को बल मिलता है। अहिंसासे सर्जन होता है जबकी हिंसासे विध्वंस। अतः सभी महापुरुषोंने सत्य, अहिंसा व करुणा का उपदेया थिया। बुद्ध, महावीर, ईसा व धर्म ग्रंथों का संदेश भी यही है।

**अहिंसा का अर्थ :-** गांधीजीने अहिंसा का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसीका दिल न दुःखाना। तथा प्रत्येक पीडित व्यक्ती के प्रति प्रेम, सहयोग, दया व सहयोगकी भावना प्रदर्शित करना। किसी को मारना अहिंसा का नकारात्मक अर्थ है। गांधीजी नकारात्मक अहिंसा का समर्थन नहीं करते। गांधीजी की अहिंसा सकारात्मक अहिंसा है, जिसमें व्यक्ती स्वयं मन, वचन व कर्म से अहिंसा का पूर्णतया पालन करते हुए भी दुसरोको सहायता व सहयोग कर भलाई के कार्य करता है। गांधीजी के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादी दुर्गुण भी हिंसा के प्रतिक हैं। अतः गांधीजी चाहते थे की प्रत्येक व्यक्ती अपने व्यक्तीगत व सार्वजनिक जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरीग्रह व ब्रम्हचर्य के सिद्धान्तों का

मन, वचन व कर्म से पालन करे। अर्थात् झुंठ बोलना, चोरी करना, जरूरतसे अधिक वस्तुओका संग्रह करना तथा मन वचन व कर्म से ब्रम्हचर्य का पालन न करना भी गांधीजी के अनुसार हिंसा है। गांधीजी के अनुसार सत्य व अहिंसा भी एक-दुसरे के पूरक हैं। एक के बीना दुसरे की प्राप्ति संभव नहीं है। गांधी जी के शब्दों में, “अहिंसा वह ज्योती है जिसके द्वारा मुझे सत्य के दर्शन होते हैं। अहिंसा ही सत्यरूपी ईश्वर के दर्शन का सिधा व छोटा मार्ग है। सभी प्रकार के दुर्गुण व बुराइयों हिंसा के ही विविध रूप हैं तथा सभी प्रकारके सद्गुण और अच्छाइयों सत्य और अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं।”

**अहिंसा का व्यवहारीक पक्ष :-** गांधीजी अहिंसा के व्यवहारीक स्वरूप को भी हमारे सामने रखते हैं। गांधीजी चाहते थे की अहिंसा को व्यवहारीक स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे लोग भ्रमित न हों। उनके अनुसार हमें कोई भी कार्य करते समय उसके ध्येय, परिस्थितियों तथा व्यवहारीक पक्ष को भी देखना चाहिए। यदी आप परमार्थ के लीए, दुसरो की जिवनरक्षा के लीए तथा लोककल्याण के लीए कोई हिंसा भी करते हैं तो वह उचित है। किसान अन्न पैठ करने दुसरो के जीवन की रक्षा करता है। सैनिक भी देशहीत तथा लोगों की रक्षा के लीए युध्द लड़ते हैं। जिवीत रहने के लीए भी थोडी-बहुत हिंसा का होना स्वाभावीक है। अतः गांधीजी अहिंसा के व्यवहारीक स्वरूप को अपनाने पर बल देते हैं। पवित्र उद्देशों तथा सार्वजनिक हित के लीए कि गयी हिंसा अनुचित नहीं है। किसान किटनाशकोका प्रयोग करके या खेती को नुकसान पोहचानेवाले कीडेमकोडे को मारता है तो यह अनुचित नहीं है। उन्होंने तो यहा तक कहा है की यदी कोई प्राणी अत्याधीक कष्ट भोग रहा हो, मरान्तक पीडा से छटपटा रहा हो, उसके बचने की कोई भी उम्मीद न हो तथा उसका रोग भी नाइलाज हो तो और हमें लगे की ‘अब इसकी मौत निश्चित है’ तो हमें उसे स्वेच्छिक मृत्यु धारण करने या उसे मौत देकर, समस्त शारीरीक कष्टोंसे मुक्ती देनी चाहिए। गांधीजी ऐसे प्राणी को मारना हिंसा नहीं मानते हैं। गांधीजीने अपने एक बछडे को उपर्युक्त परिस्थितियों के अधार पर विष देकर असीम कष्टोंसे मुक्ती दिलायी थी। लेकिन हमारे पवित्र उद्देश, संबंधीत प्राणी का हीत तथा एक मात्र अंतीम रास्ता ही, हमारी हिंसा को उचित ठहरा सकते हैं।

**अहिंसा वीरो का अस्त्र है :** कुछ लोग व्यंग में यह कहते हैं की अहिंसा कायरो को शोभा देती है, विरो को नहीं। ऐसे लोग अहिंसा को कायरता कहकर पुकारते हैं। गांधीजी के अनुसार अहिंसा

\* प्रपाठक एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, आदर्श महाविद्यालय, हिंगोली

कायरो का नहीं अपितु महाविरो का अस्त्र है। उनके मत में अहिंसा में कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। अहिंसा का वरण करने वाला व्यक्ति स्वयं कष्ट सहन करता है। स्वयं के हितों की बली धेकर भी दुसरो की सहायता करता है। अपने प्रति हिंसा करनेवाले का भी शुभचिंतक होता है। जिस क्रोध करना आसान है लेकिन क्रोध को पीना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार हिंसा करने की तुलना में अहिंसा का पालन करने के लिए मजबूत आत्मबल, संकल्प शक्ति व त्याग की आवश्यकता होती है। गांधीजी कायरता को हिंसा से भी अधिक बुरा मानते थे। गांधीजी के अनुसार अहिंसा सर्वोच्च सत्गुण है तो कायरता निकृष्टतम दुर्गुण है। अहिंसक व्यक्ति कष्ट सहन करने को तत्पर रहता है, तो कायर व्यक्ति कष्ट पहुँचाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। पूर्ण अहिंसा शौर्य का सर्वोत्तम रूप है। अहिंसा से आत्मीक प्रसन्नता प्राप्त होती है जब की हिंसा से आत्मा को दुःख व पश्चाताप की अग्नी में जलना पड़ता है। अहिंसा से प्रेम पैथ होता है तो हिंसा से घृणा व विरक्ती। अहिंसा विकास का कारण है तो हिंसा नैतिक पतन का। अहिंसक व्यक्ति केवल मात्र ईश्वर से डरता है जबकी हिंसक व्यक्ति भयभीत होकर हथियारोंसे सज्जित होकर चलते हैं।

**अहिंसा के प्रकार :** गांधी जी की मान्यता है की धुनिया में सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के मनोबल के नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की निर्भिकता और आत्मबल एक नहीं हो सकते। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी कष्ट सहन करने की क्षमता, निर्भिकता, आत्मबल और इच्छा शक्ति के आधारपर अलग-अलग प्रकार का अहिंसक आचरण अलग-अलग कारणों व ध्येयों को लेकर करते हैं। गांधीजी ने अहिंसा के तीन प्रकार बताए हैं।

**1) वीरोंकी अहिंसा या जाग्रत अहिंसा :** अहिंसा के इस उग्र रूप का पालन पुर्ण वीर और दृढ आत्मबल के व्यक्तियों के ध्यरा किया जाता है। जो पुर्ण जाग्रत अवस्था में अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर, अहिंसा के प्रति पुर्ण समर्पण कि भावना से इसको अंगीकार करते हैं। यह अहिंसा का सर्वोत्तम व आर्श रूप है। वीरों की अहिंसा को अपनाने वाले व्यक्ति में अत्याचार करने व हिंसा करने का शारीरिक बल होता है, लेकिन अहिंसा के प्रति अपनी नैतिक आस्था तथा दृढ-इच्छा शक्ति होने के कारण वह अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियोंमें भी वह अहिंसा के मार्ग पर अड़ीग रहता है। स्वयं कष्ट सहन करके भी अपने विरोधी के प्रति धुर्भावणा नहीं रखता है। ऐसे अहिंसक व्यक्तियों के पास असीम शक्ति होती है। एक अकेला व्यक्ति भी अपने ध्येय को लेकर समाज व देश को बध्लने की शक्ति रखता है। यह बहुत प्रभावशाली होती है। इसको अपनाने वाले व्यक्ति में असीमीत आत्मबल पैथ होता है।

**2) निर्बलकी अहिंसा या अवसरवाधियोंकी अहिंसा :** यह अहिंसा का व्यवहारीक रूप है जिसमें अहिंसा को एक निती के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियोंकी अहिंसा है, क्योंकि वे शक्ति या बल से कोई ध्येय प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो मजबुरी में अहिंसाका रास्ता अपनाने हैं। ऐसे व्यक्तियोंकी अहिंसा में नैतिक आस्था नहीं होती है। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध है।

इसको अपनानेवाले व्यक्ति अपनी सुविधा तथा निर्बलता के कारण इसको अपनाते हैं। इसलिये यथे उनको शक्ति प्राप्त हो जाए या वे इतने शक्तिशाली हो जाए कि अपने विरोधी का सामना हिंसा से कर सकते हैं, तो वे अहिंसा को त्यागकर हिंसा को अपना सकते हैं। इस अहिंसा को अपनाने वाले व्यक्ति अहिंसा के प्रति नैतिक आस्था, समर्पण व श्रद्ध नहीं रखते हैं। उनका उद्देश मात्र अपने ध्येय को प्राप्त करना होता है। यथे इस अहिंसा को ईमानथरी, साहस से एक निती के रूप में अपनाया जाए तो उससे अपने उद्देशको प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसका स्वभाव जाग्रत अहिंसा के समान नहीं होता है। गांधीजीने अहिंसा के इस रूप को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा, “निर्बलकी अहिंसा जैसी कोई चीज नहीं है, धुर्बलता और अहिंसा परस्पर विरोधी है।”

**3) कायरोकी अहिंसा या बुजधिलकी अहिंसा :** कभी कभी कायर और डरपोक लोग जो अपने विरोधी का सामना नहीं कर सकते हैं, अपने आपको अहिंसक बताते हैं। यह अहिंसा का निकृष्टतम रूप है जिसे गांधीजी अहिंसा नहीं अपितु हिंसा की संज्ञा धेते हैं। कायरो की इस प्रवृत्ती को अहिंसा नहीं वरन् निष्क्रिय हिंसा कहा जाना उचित है। गांधीजीने कहा की कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनुंगा। कायरता अपमानजनक, अमानवीय और अनैतिक है। गांधीजी ने कहा है की, “कायरता और अहिंसा, पानी और आग की भौती एक साथ नहीं रह सकते” एक कायर व्यक्ति के मन में अपने विरोधी के प्रति घृणा, हिंसा होती है, लेकिन वह अपनी बुजधिली के कारण पलायान करते हैं। इसकी अलोचना करते हुए गांधीजीने कहा, “यथे नपुंसकता को छीपाने के लिए अहिंसा की आवश्यकता होतो ह्यथे में हिंसा की भावना होने पर हिंसक बनना अच्छा है।”

**गांधीजी की अहिंसात्मक प्रजातंत्र की अवधारणा :** गांधीजी की कल्पना के अहिंसात्मक राज्य की सबसे महत्वपुर्ण विशेषता यह थी की वह अपना कार्य जनता को समझा बुझाकर चलायेगा, शक्ति के ध्यरा नहीं। जिसमें पुलीस होगी जो की सशस्त्र भी हो सकती है, कीन्तु व आज-कल पुलीस से सर्वथा भिन्न होगी। गांधीजी के शब्धे में, पुलीसवाले अहिंसामें विश्वास करने वाले होंगे; वे जनता के सेवक होंगे, स्वामी नहीं। जनता स्वभावतः उनकी साह्यता करेगी, और परस्परिक सहयोग के ध्यरा वे धिनप्रतिधिन घटते जानेवाले अपराधोंसे सुगमतापुर्वक निबर लेंगे। पुलीसवालों के पास कुछ शस्त्र होंगे, कीन्तु उनका प्रयोग बहुत कम किया जाएगा। वास्तव में पुलीसवाले सुधारक होंगे। इसी प्रकार अहिंसात्मक राज्य में जेलखाने होंगे; कीन्तु वे भी आजके जेलखानेसे भिन्न। गांधीजी अपराध को एक प्रकारका रोग समजते थे और उसको सामाजीक विषमताओका परिणामा मानते थे, इसलिये वे जेल को सुधारगृह, एक अस्पताल एवं एक विद्यालय बनाना चाहते थे। उसका कार्य अपराधी को अहिंसा का पाठ पढाकर सुधार करणा होगा। अहिंसावाधी लोकतंत्र के नागरीकगण सत्यप्रीय, इमानथर, निर्भीक तथा आत्मसंयमी होंगे, इसलिये उसमें कोई अपराधी नहीं होगा और सरकार को अपनी सत्ता का धुरुपयोग करने का कोई प्रलोभन नहीं होगा। जिवन

शांतिमय होगा और परस्पर साह्यता और सहयोग के उपर आधारीत होता। यदि सरकार कभी सन्मार्गसे भटकेगी, तो नागरीकगण सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिरोध करके उसे फीरसे सही मार्ग पर ले आएंगे। सत्ता के दुरुपयोग का सत्याग्रह द्वारा प्रतिरोध करने की जनता की शक्ती गांधीजी के अहिंसावादी लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण होगा। अहिंसक प्रजातंत्र कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, वरन इस दौरान सुधारात्मक कार्यक्रमों व प्रकीयाओं के माध्यमसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारीत आदर्श समाज के लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। गांधीजी की मान्यता थी की हिंसा लोकतंत्र की आत्माका हनन करती है। अतः अहिंसक लोकतंत्र में भी सत्ता का आधार विकेंद्रीकरण, सत्य और अहिंसा इत्यादी उच्च नैतिक व अध्यात्मिक सिद्धान्त होंगे। गांधीजी चाहते थे की प्रत्येक व्यक्ती के व्यक्तीमत्त्वका सर्वांगीन विकास हो। प्रत्येक कमजोर से कमजोर व्यक्ती का भी विकास हो तथा उसे राज्य में वही स्थान प्राप्त हो जो एक संपन्न व्यक्ती को प्राप्त होता है।

**अहिंसात्मक समाज के मुख्य लक्षण :** गांधीजीने अपने कल्पना के अहिंसात्मक समाजमें शासन के विषय में कोई विवरण नहीं है, तथापी उसकी मोटी रूप-रेखा काफी स्पष्ट है। उससे हमको उनके राजनीतिक विचारोंकी एक झँकी मिल जाती है और एक ऐसा मापदंड मिल जाता है जिससे की हम आज आपने देश में पाई जानेवाली स्थितीयों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

**1) राज्यहिनता :-** म. गांधीजीने राज्य को एक अनावश्यक एवं अस्वभावीक समझने के कारणोपर विचार करेंगे गांधीजी राज्य को अनावश्यक समझते हैं क्यों की आदर्श समाज में उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वास्तवीक व्यवहार में राज्य की आवश्यकता इसलीए होती है की, मनुष्य में कुछ समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ होती हैं और उनको नियंत्रित करना आवश्यक समझा जाता है। गांधीजीने अपने आदर्श समाजसे राज्य का बहिष्कार इसलीए किया क्योंकि उनका विश्वास था कि राज्य का मूल हिंसा में है। उनके विचारानुसार 'राज्य हिंसा का एक संघटीत रूप है।'

**2) विकेंद्रीकरण :** अहिंसात्मक दुसरी मुख्य विशेषता हे यह होगी की उसमें राजनीतिक तथा आर्थिक दोनो क्षेत्रों में अत्याधिक विकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि केंद्रीकरण की पध्दती अहिंसा के साथ असंगतिबद्ध है। आधुनिक राज्य इतना अधिक शक्तीशाली इसलीए होता है क्योंकि उसमें अत्याधीक केंद्रीकरण पाया जाता है। अत्याधीक केंद्रीकरण जिवन को अत्याधीक जटील बना देता है। गांधीजीने राजनीतिक विकेंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरणका समर्थन किया है। बड़े उद्योगोंका उन्मुलन करके उनके स्थान पर कुटीर उद्योग धंदोंकी स्थापना करना है। अहिंसात्मक राज्य की स्थापना के लीए यह नितांत आवश्यक है।

**3) वर्णव्यवस्था :** गांधीजी की कल्पना का अहिंसात्मक लोकतंत्र

वर्णव्यवस्था के सिध्दांत पर अधारीत होगा। गांधीजी के समाज में चार मुख्य वर्ण होंगे जो की ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र नामक प्राचीन वर्णों के अनुरूप होंगे, और जिनके सदस्य अपने अपने वंशानुगत व्यवसायोंको करेंगे। इन वर्णों में उँच-निच का कोई भेदभाव नहीं होगा, और प्रत्येक व्यक्ती अपने व्यवसायको अपनी अजिवीका अर्जित करने एवं समाज की सेवा करने के लीए करेगा, धन का संचय करने के लीए नहीं।

**4) अस्तेय :** गांधीजीके अहिंसात्मक लोकतंत्र एक आधार अस्तेय होगा। किन्तु अस्तेय पूर्ण नहीं हो सकता ; जिवित रहने के लीए तथा जिवन को स्वस्थ एवं सुखी बनाने के लीए कुछ भौतिक वस्तुओंको अपने पास रखना नितांत आवश्यक ही है। परंतु व्यक्तीगत संपत्ती न्युनतम से अधिक नहीं होनी चाहिए। गांधीजी स्वयं अपने पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रखते थे जो की उनके लीए परमावश्यक नहीं थी। भवीष्य में आवश्यकता के लीए बचत करने के सिध्दांत में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनके मतानुसार सभ्यता आवश्यकताओंको बढ़ाने में नहीं वरन् कम करणे में है।

**5) ट्रस्टीशीप :** अस्तेय के सिध्दांत से ही सम्बद्ध ट्रस्टीशिपका सिध्दांत है ज्योकी समाज में समानता लाने के गांधीवादी उपाय का एक अभिन्न अंग है। भारतीय समाजवादी निर्धन वर्ग की साहयता करने के लीए जमींदारों तथा देशी नरों को उनकी संपत्ती तथा उनके विशेषाधिकारोंसे वंचित कर देना चाहते थे। गांधीजी कानूनव्यवस्था या शक्तीद्वारा किसी की संपत्ती को छीन लेने के विरुद्ध थे। उनका तर्क था की, हिंसात्मक कार्यवाहीसे न तो गरीबोंका कोई हित होता है और न समाज का कोई लाभ होता है, इसलीए इस समस्या को अहिंसात्मक ढंग से हल करने के लीए गांधीजीने ट्रस्टीशिप के सिध्दांत का प्रतिपादन किया। इस सिध्दांत का तात्पर्य यह है की धनी लोगो को इस बात का विश्वास दिला दिया जाए की उनके पास जो धन है, वह सब जनता के परिश्रम का फल है, केवल अपनेही प्रयासोंका फल नहीं। धन एक सामाजीक उत्पत्ति है। वह चाहते थे की धनी लोगो में समग्र समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्व की भावना जागृत हो जाए और वे अपने धन का अपने आपको स्वामी नहीं वरन् ट्रस्टी समझे। धनियो को अपने धन में से केवल उतना ही लेना चाहिए जितना की उनकी उचीत आवश्यकताओंकी पूर्ती के लीए अपेक्षित हो, शेष का प्रयोग उनको संपुर्ण समाज के हितों के लीए करना चाहिए। दुसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है की धनी लोग चाहे जितना भी धन कमा सकते हैं, किन्तु उनको यह याद रखना चाहिए की वह धन समाज का है और वे समाज की ओर से उसके ट्रस्टी हैं। गांधीजी का अहिंसात्मक लोकतंत्र व्यवहारतः सामाजीक व्यवस्था का सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट रूप होगा, विकेंद्रीकरण, वर्णव्यवस्था, अस्तेय, ट्रस्टीशिप के सिध्दांतों पर यह अधारीत होगा।

## संदर्भ ग्रंथ

1) अहिंसा का मुख्य आधार आत्मीक-शक्ती या आत्मबल है। 2) अन्तःकरण की पवित्रता या नैतिक मूल्यों में पूर्ण आस्था वाला व्यक्ती हिंसा अपनाता है। 3) अहिंसा वीरोंका अभुषण है, कमजोरोंका नहीं। 4) अहिंसा की शक्ती और प्रभाव हिंसा से कई गुणा अधिक होती है। 5) अहिंसा एक निती नहीं अपितु शुद्ध ध्येय है। ध्येय की तुलना में भी अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण है। 6) अहिंसक व्यक्ती ईश्वर तथा सत्य पर अटल विश्वास रखता है। 7) अहिंसक व्यक्ती अपने विरोधी का भी शुभचिंतक होता है तथा वह उसका हृथ्य परिवर्तन करके अपने ध्येय को प्राप्त करता है। 8) अहिंसा में अनेतिकता, झुठ, दुर्गुण, घृणा, क्रोध, वैमनस्य ई. के लीए कोई स्थान नहीं है। 9) अहिंसा मानवसमाज का सहजतत्व है। यह प्राकृतीक व स्वभावीक है। 10) संपुर्ण संसार अहिंसा व प्रेम की शक्ती से हिं संचलीत होता है। यह दुनिया का सबसे शक्तीशाली शस्त्र है।